रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2374] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 2374] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

का.आ. 2955(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल मंत्रालय परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) की अधिसूचना संख्या का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा पष्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 के 516.000 किलोमीटर से 670.000 किलोमीटर (पानागढ़ से कोलकाता सेक्षन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग (अस्थायी पुल) नियम, 1964 राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क–सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना) नियम, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क की दर) नियम, 1997 का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क का संग्रहण करने हेतु सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं तथा उनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 एवं सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 द्वारा संषोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथा–संषोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 02 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2670 (अ), तारीख 26.03.2014 की शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 896 (अ) के क्रम संख्या 80 द्वारा यथा संषोधित, का अधिक्रमण करते हुए पष्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–2 के पानागढ़ से पलसित सेक्षन के 520.103 कि.मी. से 587.853 कि.मी. तक को चार लेन का बनाए जाने की परियोजना के अधीन [प्राधिकरण ने यह पुष्टि की है कि बरवा अड्डा से पानागढ़ सेक्षन (398.240 कि.मी. से 521.120 कि.मी.) को छह लेन का बनाए जाने की परियोजना का 521.120 कि.मी. का समापन बिन्दू मौजूदा परियोजना का प्रारंभिक बिन्दु (520.103 कि.मी.) एक है] एतद्द्वारा, सड़क खण्ड की लम्बाई 67.750 कि.मी. [जिसमें 67.253 कि.मी की सड़क और 0.497 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है)] शामिल है, जिसकी समकक्ष लम्बाई 4.97कि.मी. है, के चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है

और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात;–

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा–2 का 585.692 कि.मी. (बर्दवान जिले में पलसित गांव के पास)	67.253 (संरचनाओं की 497 मीटर लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित ऐसी संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए भी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई* (कि.मी में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा–2 का 585.692 कि.मी. (बर्दवान जिले में पलसित गांव के पास)	0.497	4.97	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

क्रम सं0	*संरचना, जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है		
	चैनेज (कि.मी.)		लम्बाई (मीटर)
	से	तक	
1	581.469	581.966	496.917
कुल			496.917

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पचीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे तक
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. चालक अथवा मालिक अथवा ऐसे अधिक भार के लदे यांत्रिक वाहन के प्रभारी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे वाहन के प्रवेष कराने के लिए नियमों के अधीन टोल संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 10 गुणा के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता ।

7. यांत्रिक यानों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त यानों के श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

.9. ऊपर सारणी –1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाषित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 644.14 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अर्जन, जन उपयोगी सुविधाओं का स्थान बदलने, पेड़ काटने आदि जैसी गतिविधियां अभी पूरी की जानी है; अतः पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। अंतिम पूंजीगत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा। 31.03.2014 तक उगाए गए उपयोक्ता शुल्क से कुल 303.52 करोड़ रुपए की राषि की वूसली की गई है।

11. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) द्वितीय संषोधन, नियमावली 2011 के प्रारम्भ होने के पश्चात् उपभोक्ता शुल्क की दरों में ऐसे प्रारम्भ से तत्काल पहले लागू शुल्क की दरों के पच्चीस प्रतिषत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी और किसी भी हालत में आगे की वार्षिक वृद्धि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में लागू दरों के 25% से अधिक नहीं की जाएगी ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/11–12/27/जीसी – दुर्गापुर (520.103–587.853)]

अलकेष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

S.O. 2955(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Road Wings) number S.O 78 (E) dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 516.000 to km. 670.000 (Panagarh to Kolkata section) of National Highway No.2 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession of the National Highways (Temporary Bridges) Rules, 1964, the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the National Highways (Fees for the use of National Highway Section and Permanent Bridge-Public Funded Project);

Rules, 1997 and the National Highways (Rate of Fees) Rules, 1997, has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated the 5th Dec, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October, 2011 and G.S.R. 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), and in supersession of the notification bearing No.

S.O. 2670(E), dated the 2nd November, 2012 as amended vide Sl. No. 80 of fee notification bearing S.O. No. 896(E) dated 26.03.2014, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of Table 1 for road section length of 67.750 km. [including 67.253 km. road and 0.497 Km. of structure (having length more than 60 m.) with equivalent length of 4.97 km.] (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, under the project of four laning of Panagarh to Palsit section from Km. 520.103 to Km. 587.853 [Authority has confirmed that the end point km. 521.120 of six laning project Barwa Adda to Panagarh section (km. 398.240 to km. 521.120) is same as the start point (km. 520.103) of instant project] of NH-2 in the State of West Bengal and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km. 585.692 (near Village Palsit in Burdwan district) of NH-2	67.253 (Excluding 497 m length of structures)	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures * (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km.)	Rate at which fee is payable
Km. 585.692 (near Village Palsit in Burdwan district) of NH-2	0.497	4.97	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

S. No.	* Structure having length more than 60 m.		
	Chainage (Km.)		Length (m.)
	From	To	
1	581.469	581.966	496.917
Total			**496.917**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 644.14 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs. 303.52 Crore has been recovered from the user fee realized till 31.03.2014.

11. User fee rates shall not be increased after the commencement of National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment, Rules, 2011 by more than twenty-five per cent of the rates of fee applicable immediately before such commencement and further annual increase shall in no case be more than 25% of the rate applicable in the immediately preceding year.

[F. No. NHAI/13013/CO/11-12/27/GC-Durgapur (520.103 - 587.853)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.